न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 20/2024
3. उनवान : 1. बिरदीचन्द उर्फ बिरदा पुत्र भूरा जाति जाट
   2. लालाराम पुत्र गुल्ला जाति जाट
   समस्त निवासी ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामप्रताप जाति कुमावत निवासी स्वामी की ढाणी, बरडोटी हाल सरडीवालो की ढाणी, काकड पोस्ट हिरनोदा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2. गणगौरी देवी पत्नी सुजीलाल जाति माली निवासी भृगु पथ, 21/28 मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 24/02/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सतरावला अपीलांट्स की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान हेतु वाके ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा के खसरा नम्बर 790/1, 790/2, 791, 792, 793 के बाबत आवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश कैम्प हिरनोदा/ दिनांक 21–06–2017 को पारित किया गया एवं फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 02–08–2017 को किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण दर्ज भी नही किया गया तथा ना ही अपीलान्ट को सुनवाई हेतु किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। अपीलाधीन आदेश आवेदन प्रस्तुत करने के बाद पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई परन्तु मौके पर पटवारी हल्का द्वारा गये बिना ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। आवेदन प्रस्तुत होने पर उसी दिन दिनांक को बिना कोई सम्यक् प्रक्रिया अपनाये एंव बिना किसी पक्षकार को सूचना दिये एवं बिना मौका अवलोकन किये केवल मात्र रेस्पोडेन्टस के आवेदन पर ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही

अतिरिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर

थी। दिनांक 16–05–2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर नाप जोख के बाबत बताने पर जानकारी हुई। विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त नहीं है तथा खसरा नम्बर 794 पर अपीलान्ट सहखातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार फरमाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश कैम्प/हिरनोदा/दिनांक 21–06–2017 को पारित किया गया एवं फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 02–08–2017 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के संलग्न अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 भा0प0अ0, स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिनांक 02/08/2017 को कैम्प में अपीलाधीन सीमाज्ञान आदेश प्रदान किये गये। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण दर्ज भी नही किया गया तथा ना ही अपीलान्ट को सुनवाई हेतु किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। अपीलाधीन आदेश आवेदन प्रस्तुत करने के बाद पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई परन्तु मौके पर पटवारी हल्का द्वारा गये बिना ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। मौके पर किसी प्रकार की नाप–जोख किये बिना तथा मुस्तकिल निर्धारित किये बिना ही उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या । व 2 का कब्जा काश्त नही है तथा खसरा नम्बर 794 पर अपीलान्ट सहखातेदार काश्तकार है। नियमानुसार संबंधित पटवारी से रिपोर्ट लेकर तहसीलदार को सीमाज्ञान हेतु आदेशित किया जाना चाहिए था। सीमाज्ञान का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सीमाज्ञान का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त कृषि वर्ष अर्थात फसल उगी होने के दौरान सीमाज्ञान के आदेश किया जाना पूर्णतः विधि विरूद्ध है। अतः अपीलाधीन सीमाज्ञान आदेश को निरस्त कर अपीलान्ट की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान के आदेश फरमाये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के सीमाज्ञान आदेश कैम्प/हिरनोदा/दिनांक 21–06–2017 के विरूद्ध पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना तहसीलदार/पटवारी हल्का रिपोर्ट के तथा बिना सहखातेदारों की सहमति व सुनवाई के अपीलाधीन आदेश जारी किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका सीमाज्ञान की रिपोर्ट (प्रतिलिपी) में दिनांक 02/08/2017 की पालना किया जाना अंकित किया है जो कि लगभग 40 दिवस बाद पालना किया जाना पुष्ट होता है। इस प्रकार वर्षा के मौसम में सीमाज्ञान नहीं कराया जा सकता है। उक्त फर्द सीमाज्ञान में कटिंग/ओवर राईटिंग की

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

बिरदीचंद बनाम रामेश्वर वगै0

20 / 2024

गई है। पटवारी द्वारा सीमाओं को ही मुस्तकिल बिन्दु (जिसे पटवारी द्वारा कायम मुकाम लिखा गया है) मान कर सीमाज्ञान दिखाया गया है जबकि सीमाज्ञान में सीमा का ही विवाद होता है। फर्द में पडोसी खातेदारों को बुलाया जाना लिखा गया है जबकि पडोसी खातेदारों तथा सहखातेदार को सूचित नहीं किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सीमाज्ञान करवाये जाने में पडोसी खातेदारों तथा सहखातेदारों की सहमति नहीं थी जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के सीमाज्ञान आदेश कैम्प/हिरनोदा/दिनांक 21–06–2017 को खारिज किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रश्नगत खसरा नम्बरान की भूमि के संबंध में सीमाओं को लेकर कोई विवाद है तो समस्त सहखातेदारों के आवेदन पर नियमानुसार सीमाज्ञान कराया जाए।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर